web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 11 अप्रैल 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 190

महत्वपूर्ण एवं खास

कोविड अस्पताल में लगी आग, चार की मौत

नागपुर (आरएनएस)। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में अमरावती के वेल ट्रीट कोविड अस्पताल में शुक्रवार रात को लगी भीषण आग में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग दूसरी मंजिल पर आईसीयू की एसी इकाई में लगी। इस निजी अस्पताल वर्तमान में कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा जा है। सुरक्षा सावधानियों के कारण करीब 27 मरीजों को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि दमकल की कई गाडियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। उन्होंने कहा कि इस बीच पुलिस और कर्मचारियों के साथ दमकल कर्मियों ने कई मरीजों को सुरक्षित निकाला गया।

सोनिया ने पार्टी शासित प्रदेशों में कोरोना के खिलाफ प्रयासों की समीक्षा की

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की तथा जांच , संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और टीकाकरण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के अनुसार, इस बैठक में कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकारों में शामिल पार्टी के मंत्री भी शामिल हुए। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने टीके की उपलब्धता, दवाओं एवं वेंटिलेटर की उपलब्धता समेत कोविड से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए हुई इस बैठक को संबोधित किया। उनके मुताबिक, सोनिया ने जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और टीकाकरण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

कांग्रेस शासित राज्यों में 'टेस्ट, ट्रैक और वैक्सीनेशन पर फोकस

नईदिल्ली (आरएनएस)। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की. सोनिया की मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए, साथ ही राज्यों के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया. मीटिंग में कोरोना के चलते राज्यों में पैदा हुए हालात की समीक्षा की गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए मीटिंग के संबंध में जानकारी शेयर की. उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में वैक्सीन, वेंटिलर्स की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि राज्यों की प्राथमकिता टेस्ट, ट्रैक और वैक्सीनेट की है. मीटिंग से पहले रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी दोनों ने ही केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. रणदीप सुरेजवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि असल मामला वैक्सीन की कमी का है. बड़ी संख्या में वैक्सिनेशन सेंटर बंद पड़ें है या तेजी से बंद होते जा रहें हैं, लेकिन मोदी सरकार के वैक्सीनवल्चर मंत्री इस त्रासदी में अवसर और कोरोना बीमारी में मशहुरी का उत्सव देख रहे हैं. राजनीति छोड़ो, राष्ट्र धर्म निभाओ.

एक दिन में कोरोना से 794 लोगों की मौत, 1.45 लाख से अधिक नये मामले

» भारत में प्रतिदिन औसत उच्चतम टीके की खुराक दिया जाना जारी

» 10 राज्यों में दैनिक नए मामलों का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा

» भारत के सक्रिय मामलों में 10 जिलों का योगदान 45.65 फीसदी

नईदिल्ली,10 अप्रैल (आरएनएस)। शनिवार को देशभर में कोविड-19 के टीके की खुराक दिए जाने की कुल संख्या 9.80 करोड़ से अधिक हो गई है। शनिवार को सुबह 7 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, 14,75,410 सत्रों के माध्यम से कुल 9,80,75,160 टीके की खुराकें दी गई हैं। इनमें 89,88,373 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके की पहली खुराक और 54,79,821 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके की दूसरी खुराक, 98,67,330 अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने टीके की पहली खुराक, 46,59,035 अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने टीके की दूसरी खुराक, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 3,86,53,105 लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक और 15,90,388 लाभार्थियों ने टीके की दूसरी खुराक और 45 से 60 वर्ष की उम्र के 2,82,55,044 लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक और 5,82,064 लाभार्थियों ने टीके की दूसरी खुराक ली।

देश में अब तक कुल टीके की 60.62 प्रतिशत खुराकें 8 राज्यों में दी गई हैं।

टीकाकरण मुहिम के 84वें दिन (09 अप्रैल 2021) को 34,15,055 टीके की खुराकें दी गई। 46,207 सत्रों के माध्यम से 30,06,037 लाभार्थियों ने पहली खुराक और 4,09,018 लाभार्थियों ने दूसरी खुराक ली।

वैश्विक स्तर पर दैनिक खुराकों की संख्या के संदर्भ में, भारत प्रतिदिन औसत 38,93,288 टीके की खुराक दिए जाने के साथ शीर्ष पर बना हुआ।

भारत में दैनिक नये मामलों का बढ़ना जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नये मामले दर्ज किए गए।

दस राज्यों- महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान- में कोविड-19 के दैनिक नये मामलों में वृद्धि दिखाई दे रही है। नये मामलों का 82.82 प्रतिशत इन्हीं दस राज्यों में ही है।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक 58,993 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 11,447 जबकि उत्तर प्रदेश में 9,587 नये मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,46,631 तक पहुंच गई है। यह देश में कुल पॉजिटिव मामलों का अब 7.93 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या में से 67,023 मामले कम हुए।

भारत में कुल सक्रिय मामलों का कुल 72.23 प्रतिशत पांच राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल में है। देश में कुल सक्रिय मामलों का 51.23 प्रतिशत अकेले महाराष्ट्र से है।

देश के दस जिलों में कुल सक्रिय मामलों के 45.65 प्रतिशत हैं।

भारत में आज तक कुल स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,19,90,859 है। राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी दर 90.80 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटे में 77,567 मरीज स्वस्थ हुए।

दैनिक मौतें की संख्या में लगातार उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 794 मौतें दर्ज की गई।

दस राज्यों में कोविड से होने वालीं मौतों का हिस्सा 86.78 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें (301) दर्ज हुई हैं। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में 91 दैनिक मौतें दर्ज की गई हैं।

बारह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से कोई मृत्यु दर्ज नहीं की गई। इनमें पुडुचेरी, लद्दाख (केन्द्र शासित), दमन एवं दीव एवं दादरा नगर हवेली, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्कम, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश शामिल है।

राफेल सौदे का पैसा किसके पास गया : राहुल गांधी

» पीएम मोदी पर साधा निशाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम के छात्रों से निडर होकर परीक्षा में सवालों का जवाब देने के मंत्र पर कटाक्ष किया।

राहुल ने कहा, जैसे पीएम छात्रों को निडर होकर सवाल का जवाब देने को कह रहे हैं तो उन्हें भी निडर होकर कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। पीएम को बताना चाहिए कि राफेल सौदे में पैसा किसके पास गया? राफेल सौदे से भ्रष्टाचार निरोधक नियमों को किसने हटाया और रक्षा मंत्रालय के कागजात को बिचौलियों तक किसने पहुंचाया?

कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा कि यह घोटाला नहीं, बल्कि देशद्रोह है। इस बीच, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह कोई छोटा घोटाला नहीं, बल्कि देशद्रोह है। राफेल सौदे में जिस तरह पैसे का आदान प्रदान हुआ, सरकारी खजाने को चूना लगाया गया और कीमत बढ़ाकर 21 हजार करोड़ से अधिक भुगतान किया गया। अब यह स्पष्ट है कि ये लोग खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और पकड़े जाने पर गुर्राते भी हैं। चोरी भी और सीनाजोरी भी। सुरजेवाला ने कहा, एक फ्रेंच वेबसाइट के मुताबिक जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे साफ है कि राफेल सौदे में बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। देश के हितों से खिलवाड़ हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है।

ओबीसी वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु भोपाल में 1050 सीटों के छात्रावास की मिली स्वीकृति

नईदिल्ली (आरएनएस)। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए ताकि, उन्हें माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाए जाने हेतु, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की छात्रावास निर्माण की योजना है। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 3.50 लाख रुपये प्रति सीट, हिमालय क्षेत्र हेतु 3.25 लाख रुपये तथा देश के शेष भाग हेतु 3.00 लाख रुपे प्रति सीट का प्रावधान है और इस योजनांतर्गत निर्मित छात्रावास हेतु फर्नीचर/उपस्कर हेतु प्रति सीट 2500 रुपये का एक एक बार अनावर्ती अनुदान का भी प्रावधान है। भारत सरकार की अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों तथा छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के लिए 1050 सीट के बालक छात्रावास निर्माण की स्वीकृति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है जिसकी कुल लागत 44.72 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्रांश की राशि 28.35 करोड़ रुपये है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की राशि 14.18 करोड़ रुपये में से 6.13 करोड़ रुपये संस्थान को प्रदान किए गए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को अन्य पिछड़े वर्गों में शैक्षिण पिछड़ेपन की समस्या से निपटने के लिए 1998-99 से कार्यवान्वित किया जा रहा है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से विशेष रुप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थी निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय की कमी के कारण तथा उचित लागत पर छात्रावास की पर्याप्त सुविधा शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध न होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं।

भ्रष्टाचार के मामलों से सख्ती से निपटा जाएः सुप्रीम कोर्ट

» सवालः दोषी लोकसेवकों को मामूली सजा क्यों

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इस मामले में यह जरूरी नहीं कि दोषी पाए गए लोकसेवकों को साधारण कारावास की सजा दी जाए। वह भी तब, जब भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 इस बारे में कुछ खास उल्लेख नहीं करता है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने यह अहम टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के सितंबर, 2020 को दिए गए एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की। पीठ ने याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद

जस्टिस शाह ने कहा, मैंने सभी हाईकोर्ट व अदालतों को देखा है कि वे उन मामलों में केवल साधारण कारावास की सजा देती हैं, जिसमें सार्वजनिक अधिकारी आरोपी होते हैं ।धारा सात में केवल सजा की बात की गई है। इसमें साधारण कारावास के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, इनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सहमति जताते हुए कहा कि हम इसे विचार के लिए ध्यान में रख सकते हैं।

यह था कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात (सरकारी काम के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा पैसे लेने वाले लोक सेवक के अपराध के लिए दंड) और धारा 13(1)(डी) और 13(2) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार करना) के तहत दोषी ठहराया गया था।इसी के साथ धारा सात के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने की अवधि के साधारण कारावास व जुर्माने की सजा के आदेश की भी पुष्टि की थी, लेकिन उसकी ज्यादा उम्र को देखते हुए दो साल की साधारण कारावास की सजा को कम करके डेढ़ साल कर दी गई थी।

ये है सजा का प्रावधान- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध से संबंधित है। इसके तहत दोषी पाए गए किसी भी लोक सेवक को एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो तीन साल से कम नहीं होगी। हालांकि, ऐसी सजा सात साल तक की हो सकती है और आरोपी को जुर्माना भी देना होगा। धारा 13 यह निर्धारित करती है कि कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है, उसे ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो चार साल से कम नहीं होगी। हालांकि, यह 10 साल तक दी जा सकती है और आरोपी को जुर्माना भी देना होगा।

बंगाल चुनाव के चौथे चरण में 1:30 बजे तक 52.89 प्रतिशत मतदान

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 44 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका में हैं, जो तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर जीत पराजय का निर्णय करेंगी। यही कारण है कि बीजेपी से लेकर टीएमसी और कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन महिला मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। बता दें कि बंगाल के पांच जिलों में 44 सीटों पर आज चौथे चरण की वोटिंग जारी है। किंतु बंगाल में चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हिंसा और झड़प की घटनाएं भी तेज होती जा रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 1:30 बजे तक 52.89न्न मतदान हुआ है। उत्तर बंगाल में कूचबिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग चल रही है।

उच्चतम न्यायालय ने भिक्षावृत्ति संबंधी याचिका पर केन्द्र और चार राज्यों से जवाब मांगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और महाराष्ट्र तथा गुजरात समेत चार राज्यों से उस याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखने वाले प्रावधानों को निरस्त किये जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की एक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि इस वर्ष 10 फरवरी को याचिका पर एक नोटिस जारी किया गया था लेकिन अब तक इस मामले में केवल बिहार ने अपना जवाब दाखिल किया है। पीठ ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा, ''हालांकि नोटिस 10 फरवरी, 2021 को जारी किया गया था, लेकिन केवल बिहार राज्य द्वारा जवाब दाखिल किया गया है - और अन्य प्रतिवादियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। उच्चतम न्यायालय अब तीन सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई करेगा। न्यायालय ने फरवरी में उस याचिका पर केन्द्र के साथ-साथ महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और बिहार से जवाब मांगा था जिसमें दावा किया गया है कि भिक्षावृत्ति को अपराध बनाने संबंधी धाराएं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अधिवक्ता एच के चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2018 के उस फैसले का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया था राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगना अब अपराध नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि बम्बई भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959 के प्रावधान, जिनमें भीख मांगने को एक अपराध के रूप में माना गया है, संवैधानिक रूप से नहीं टिक सकते है।

देश के 149 जिले को लोग अभी भी कोरोना की दूसरी लहर से दूर

नई दिल्ली (आरएनएस)। आठ जिलों में दो और तीन जिले में तीन सप्ताह से एक भी नया केस नहीं आया है। इसके अलावा देश के 63 जिले ऐसे भी हैं जहां 28 दिन से नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है और इन्हें रेड जोन से बाहर कर दिया है।

शुक्रवार को यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्री समूह की बैठक में दी। इससे पहले बीते 28 जनवरी को मंत्री समूह की बैठक हुई थी लेकिन इसके बाद मामले कम होने की वजह से यह बैठक भी नहीं हुई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश में कोरोना महामारी के वर्तमान हालात के बारे में बताया। मंत्री समूह की इस 24वीं बैठक में जानकारी दी गई कि देश में अब तक 25.71 करोड़ सैंपल की जांच हो चुकी है। 2,449 लैब में कोरोना वायरस की जांच हो रही है जिनमें 1230 सरकारी और 1219 निजी लैब हैं। इनके अलावा अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो 2084 विशेष कोविड अस्पताल (केन्द्र के 89 और राज्यों के 1995) देश भर में खोले गए हैं, जिनमें चार लाख 68 हजार 974 कोविड बिस्तर हैं। इनमें से दो लाख 63 हजार 573 आइसोलेशन बिस्तर हैं

जबकि 50 हजार 408 आईसीयू और एक लाख 54 हजार 993 ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तर हैं। इसके अलावा 4,043 विशेष कोविड स्वास्थ्य केन्द्र (केन्द्र के 85 और राज्यों के 3958) स्थापित किए हैं। इनमें तीन लाख 57 हजार 96 कुल कोविड बिस्तर हैं, जिनमें से दो लाख 31 हजार 462 आइसोलेशन बिस्तर, 25 हजार 459 आईसीयू बिस्तर और एक लाख 175 ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तर हैं। कुल 12,673 क्वारंटीन केन्द्र और 9,313 कुल कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 28 दिल्ली में हैं, जिनमें कुल 9,421 आइसोलेशन बिस्तर हैं।

डॉ. हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ समय में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, नागरिक विमानन मंत्री हरदीप एस. पुरी और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उपस्थित थे। जबकि जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रभारी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉ. विनोद के. पॉल वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।